रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249415 CG-DL-E-13102023-249415

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4327]

No. 4327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रलाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2023.

का.आ. 4498(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73;
- (iii) अध्याय ६ की धारा ७४, धारा ७५, धारा ७६ की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा ८०, धारा ८० और धारा ८३

उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, बदायूं, सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, बागपत, चित्रकूट, सम्भल और अयोध्या जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे।

[फा. सं. एस-38013 / 13 / 2023-एसएस**-।**]

आलोक चंद्रा. वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

6530 GI/2023 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O.4498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely:—

- (i) sections 38 to 43 and section 45A to section 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and section 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Lalitpur, Kushinagar, Kaushambi, Budaun, Sultanpur, Deoria, Ballia, Jaunpur, Azamgarh, Baghpat, Chitrakoot, Sambhal and Ayodhya districts in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. S-38013/13/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser